



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502



23 जून 2026

आरबीआई ने व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) संबंधी अंतिम निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज 'भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली) निदेश, 2026' जारी किए।

आरबीआई ने हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु 08 अप्रैल 2026 को '[भारतीय रिज़र्व बैंक \(व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली\) निदेश, 2026](#)' का मसौदा सार्वजनिक डोमेन में रखा था। उक्त निदेशों के मसौदे में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए थे –

- ट्रेड्स के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे का युक्तिकरण और सामंजस्य,
- एमएसएमई विक्रेताओं के लिए उचित जांच संबंधी आवश्यकता को समाप्त करना, और
- ट्रेड्स ऑपरेटर्स के लिए लागू पूंजीगत आवश्यकताओं का संशोधन।

जन सामान्य से प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और अंतिम निदेशों में उसे उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। अंतिम निदेश ट्रेड्स के कुशल संचालन के लिए आवश्यक अपेक्षाएँ निर्धारित करते हैं, साथ ही प्राधिकृत इकाइयों को मौजूदा विनियामक ढांचे के अनुरूप परिचालनात्मक और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश तैयार करने हेतु लचीलापन प्रदान करते हैं।

ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, जब तक कि उनमें अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/519